प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक शि0नि0(बे0)/नियोजन/ /2021–22 दिनांकः 30 मार्च, 2022

विषयः– Joint Action Plan on "Prevention of drugs and substance abuse and illicit trafficking" के संबंध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम, 2003 के प्राविधानों का क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पत्रांकः यूपीवीएचए/टी.सी.पी./216/2022 दिनांकः 14 मार्च, 2021 एवं उक्त के साथ संलग्न अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांकः गृह–अनुभाग(पुलिस) 15 दिनांकित 02 मार्च 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किये गये Joint Action Plan on "Prevention of drugs and substance abuse and illicit trafficking" के "एक युद्ध नशे के विरूद्ध" के अन्तर्गत देशों में मादक द्रव्यों के सेवन के विरूद्ध विभिन्न विभागों, संस्थानों, एजेंसियों, प्राधिकारियों द्वारा की जा रही कार्यवाही को और अधिक सुदृढ़ एवं आदर्श प्रतिमान स्थापित करने की दिशा में कार्य किये जाने की आवश्यकता बताई गयी है।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि सभी स्कूलों, कॉलेजों एवं विभाग के अन्तर्गत संचालित अन्य शैक्षिक संस्थानों में बच्चों को मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रखने एवं मानक पदार्थों, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद की बिक्री को रोके जाने के सम्बन्ध में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम, 2003 के प्राविधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा एक विशेष अभियान चलाकर शैक्षणिक संस्थानों की 100 गज की परिधि के भीतर व दुकानों को हटाये जाने हेतु पुलिस / प्रशासन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीया,

(गणेश कुमार)
संयुक्त शिक्षा निदेशक(बेसिक)
कृते शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृ0सं0ः शि0नि0(बे0)/नियोजन/ /2021–22 तद्‌दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश वॉलन्टरी हैल्थ एसोसिएशन, 5/459, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. राज्य नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

(गणेश कुमार)
संयुक्त शिक्षा निदेशक(बेसिक)
कृते शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

फैक्स / महत्वपूर्ण
संख्या - 95 / छः-पु0-15/2022

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश। 2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह-अनुभाग(पुलिस)15

लखनऊः दिनाँक 02 मार्च, 2022

विषयः- Joint Action Plan on "Prevention of drugs and substance abuse and Illicit trafficking" के सम्बन्ध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनिमयन) अधिनियम, 2003 के प्राविधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किये गये Joint Action Plan on "Prevention of drugs and substance abuse and Illicit trafficking" " एक युद्ध नशे के विरुद्ध " के अन्तर्गत देश में बच्चों में मादक द्रव्यों के सेवन के विरुद्ध विभिन्न विभागों, संस्थाओं, एजेंसियों, प्राधिकारियों द्वारा की जा रही कार्यवाही को और अधिक सुदृढ़ एवं आदर्श प्रतिमान स्थापित करने की दिशा में कार्य किये जाने की आवश्यकता पायी गई है। बच्चों को मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रखने, विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं (यथा- कोचिंग सेन्टर, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, छात्रावास, कौशल प्रशिक्षण केन्द्र और बाल उद्यान आदि स्थानों) पर मादक पदार्थों, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद की बिक्री को रोके जाने के सम्बन्ध मे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तैयार की गई उक्त संयुक्त कार्ययोजना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट के लिंक https :// ncpcr.gov.in/ showfile.php? lang=1&level=1&& sublinkid= 2122&lid=2022 पर उपलब्ध है।

2. अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकृत चिकित्सक के आदेश के बिना सार्वजनिक स्थान पर बच्चे को नशीली शराब / मादक औषधि या तम्बाकू उत्पाद देता या दिलवाता है तथा किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे से शराब/ड्रग्स/तम्बाकू की सप्लाई करवाना अथवा नशीला शराब या नशीले पदार्थ / मादक औषधि के विक्रय, फुटकर क्रय-विक्रय, साथ रखने, आपूर्ति करने अथवा दुर्व्यापार में बच्चे का उपयोग करने की गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा- 77 एवं 78 के अन्तर्गत प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाए साथ ही सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनिमयन) अधिनियम, 2003 की धारा- 6 में की गई व्यवस्था के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से और किसी शैक्षणिक संस्था की 100 गज की परिधि के भीतर किसी स्थान पर सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के विक्रय पर प्रतिषेध है। अतः एक विशेष अभियान चलाकर शैक्षणिक संस्थाओं की 100 गज की परिधि के भीतर सम्बन्धित kiosk व दुकानों को हटाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।